[To be published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section 3, Subsection (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS Notification

New Delhi, dated the 5th July, 2017

- G.S.R. _____ (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Company Law Tribunal Rules, 2016, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the National Company Law Tribunal (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Company Law Tribunal Rules, 2016, after rule 87, the following rule shall be inserted, namely:-
- **"87A. Appeal or application under sub-section (1) and sub-section (3) of section 252.** (1) An appeal under sub-section (1) or an application under sub-section (3) of section 252, may be filed before the Tribunal in Form No. NCLT. 9, with such modifications as may be necessary.
- (2) A copy of the appeal or application, shall be served on the Registrar and on such other persons as the Tribunal may direct, not less than fourteen days before the date fixed for hearing of the appeal or application, as the case may be.
- (3) Upon hearing the appeal or the application or any adjourned hearing thereof, the Tribunal may pass appropriate order, as it deems fit.

- (4) Where the Tribunal makes an order restoring the name of a company in the register of companies, the order shall direct that-
 - (a) the appellant or applicant shall deliver a certified copy to the Registrar of Companies within thirty days from the date of the order;
 - (b) on such delivery, the Registrar of Companies do, in his official name and seal, publish the order in the Official Gazette;
 - (c) the appellant or applicant do pay to the Registrar of Companies his costs of, and occasioned by, the appeal or application, unless the Tribunal directs otherwise; and
 - (d) the company shall file pending financial statements and annual returns with the Registrar and comply with the requirements of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder within such time as may be directed by the Tribunal.
- (5) An application filed by the Registrar of Companies for restoration of name of a company in the register of companies under second proviso to sub-section (1) of section 252 shall be in Form No. NCLT 9 and upon hearing the application or any adjourned hearing thereof, the Tribunal may pass an appropriate order, as it deems fit.".

[F. No. 1/30/2013-CL-V]

(Amardeep Singh Bhatia)
Joint Secretary

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 716(E), dated 21st July, 2016 and amended *vide* notification number G.S.R. 1159(E) dated the 20th December, 2016.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ] कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

सा.का.नि	(अ) केन्द्रीय	ा सरकार, वं	ज्पनी अधि	नियम, 2	013 (20	13 का 18	3) की धारा
469 की	उपधारा (1)	और उपध	ारा (2) द्व	ारा प्रदत्त	शक्तियों	का प्रयो	ग करते हु	ए, राष्ट्रीय
कंपनी वि	विध अधिकरण	नियम,	2016 में 3	भौर संशोध	न करने	के लिए	निम्नलिरि	वेत नियम
बनाती है	, अर्थात्:-							

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम,
 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में, नियम 87 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
- "87क. धारा 252 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन अपील या आवेदन.- (1) धारा 252 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील या उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन अधिकरण के समक्ष प्ररूप संख्या एनसीएलटी-9 में ऐसे उपांतरणों के साथ, जो आवश्यक हों, फाइल किया जा सकेगा।
- (2) अपील या आवेदन, यथास्थिति, की सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले अपील या आवेदन की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जैसा कि अधिकरण निदेश दे, को तामील की जाएगी।
- (3) अधिकरण, अपील या आवेदन की सुनवाई या उसकी किसी स्थगित सुनवाई पर, ऐसा समुचित आदेश, जो वह समुचित समझे, पारित कर सकेगा।
- (4) यदि अधिकरण, ऐसी किसी कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर में पुनः शामिल करने का आदेश करता है तो उस आदेश में यह निदेश दिया जाएगा कि -
 - (क) अपीलार्थी या आवेदक आदेश की तारीख से तीस दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार को एक प्रमाणित प्रतिलिपि परिदत्त करेगा;

- (ख) ऐसे परिदान पर, कंपनी रजिस्ट्रार अपने शासकीय नाम और मुद्रा के साथ राजपत्र में आदेश प्रकाशित करेगा;
- (ग) अपीलार्थी या आवेदक अपील या आवेदन की या उसके कारण होने वाली लागत का संदाय करेगा जब तक कि अधिकरण द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए; और
- (घ) कंपनी लंबित वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणियाँ रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का ऐसे समय के भीतर अनुपालन करेगी, जैसा अधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए।
- (5) धारा 252 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी कंपनी का नाम कंपनी रिजस्टर में पुन: शामिल करने के लिए कंपनी रिजस्ट्रार द्वारा फाइल किया गया आवेदन प्ररूप संख्या एनसीएलटी-9 में होगा और अधिकरण आवेदन की सुनवाई या उसकी किसी स्थगित सुनवाई पर समुचित आदेश, जैसा कि वह उचित समझें पारित कर सकेगा।"

[फा.सं. 1/30/2013-सीएल. V]

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 716(अ). तारीख 21 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें सा.का.नि. 1159(अ) तारीख 20 दिसंबर, 2016 द्वारा संशोधन किए गए।